

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक 710-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) को उससे संबद्ध एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) विधेयक, २०१४

३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१४ है.

३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. १५,८४,९३,७८,८८९ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक हजार पाँच सौ चौरासी करोड़ तिरानवे लाख अठहत्तर हजार आठ सौ नवासी होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००० को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

| (१) अनुदान क्रमांक | (२) सेवायें और प्रयोजन | (३) आधिक्य | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | मतदत्त | भारित | योग |
| | | रुपये | रुपये | रुपये |
| | लोक ऋण (वित्त) | पूँजीगत | १०,२६,६९,४६,१२४ | १०,२६,६९,४६,१२४ |
| ३. | पुलिस | पूँजीगत | ९९,३४,००० | ९९,३४,००० |
| ६. | वित्त विभाग | राजस्व | १५,९२,६९१ | १५,९२,६९१ |
| १४. | पशुपालन (डेयरी) विभाग | राजस्व | २१,४२,४६५ | २१,४२,४६५ |

| (१) | (२) | (३) | |
|-----|--|---------|----------------|
| | | रुपये | रुपये |
| २१. | आवास एवं पर्यावरण विभाग | पूँजीगत | ३,७५,३५५ |
| | | | ३,७५,३५५ |
| २३. | जल संसाधन विभाग | राजस्व | ७३,२३५ |
| | | | ७३,२३५ |
| २३. | जल संसाधन विभाग | पूँजीगत | ४,४३,०१,५४२ |
| | | | ४,४३,०१,५४२ |
| २४. | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | राजस्व | ८,३७,१६४ |
| | | | ८,३७,१६४ |
| २७. | स्कूल शिक्षा | राजस्व | ४,५३,४९,२६,११९ |
| | | | ४,५३,४९,२६,११९ |
| ३०. | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | १४,६५४ |
| | | | १४,६५४ |
| ४४. | उच्च शिक्षा | राजस्व | ९८,१५,१३,९५८ |
| | | | ९८,१५,१३,९५८ |
| ५०. | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग | राजस्व | ८,५२,१३४ |
| | | | ८,५२,१३४ |
| ५९. | १०वां वित्त आयोग (स्कूल शिक्षा) | राजस्व | ४२,२०,००० |
| | | | ४२,२०,००० |
| ६०. | योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | पूँजीगत | ३९,७८७ |
| | | | ३९,७८७ |
| ६९. | नगरीय प्रशासन एवं विकास | पूँजीगत | १,६०,००० |
| | | | १,६०,००० |
| ७५. | १०वां वित्त आयोग (जेल) | पूँजीगत | ९,७३,४४६ |
| | | | ९,७३,४४६ |

| (१) | (२) | (३) | | |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये |
| ८९. लोक निर्माण विभाग | पूँजीगत | ४,७६,२१५ | | ४,७६,२१५ |
| | योग : { | | | |
| | राजस्व | ५,५२,३६,५४,६७६ | २५,१७,७४४ | ५,५२,६१,७२,४२० |
| | पूँजीगत | ५,५८,८४,९९० | १०,२६,७३,२१,४७९ | १०,३२,३२,०६,४६९ |
| | कुल योग : | ५,५७,९५,३९,६६६ | १०,२६,९८,३९,२२३ | १५,८४,९३,७८,८८९ |

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारत विनियोग से तथा ३१ मार्च २००० को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गये अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ जनवरी, २०१४.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.